

## कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



वक्षेत्र क्रुलकम्

E-Mail ID; nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax; 0135 2767611

पत्रोक- ११/5 / FP/UK/Others/44711/2020 देहरादूनः दिनांकः 03 अप्रैल, 2023

रोवा भें.

अपर पमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25—सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :- जनपद-रूदप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के निर्माण हेतु 2.00 हैं0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या-8B/UCP/09/140/2021/FC/1056 दिनांक 01.11.2022 |

महोदय.

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 01.11.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2391/12-1 दिनांक 24.03.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना	उत्तरालेख
1	In reply to point no,l Justification provided for	वन संरक्षक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र
	proposing a non site-specific project In forest land	दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से अवगत कराया
	is not sufficient. The State Govt. should provide	गया है कि-
	the category- wise distribution of the area of the	Revised Justification is uploaded in online
	district (RF, Civil Soyam, Van panchayat,	proposal at para D of part-I and same is
	Revenue, private, etc). The State Government is	uploaded in online proposal at additional
	also requested to submit provide the land -use of	documents and it is submitted in this letter at
	the district and a proper justification ad to why the	attachment at no 1.
	project could not be taken at any other place in the	Certificate related for Category Wise Area of
	district.	Land for District Rudraprayag is uploaded in
		online Proposal at additional documents and
	da , a colony rain grave To	same is submitted in this letter at attachment
		no. 1.
		All supporting documents related to this query
		are attached at attachment no. 1.
		(संलग्नक–1)
2	In reply to point no.2. Residential component is	वन संरक्षक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र
	given in the component-wise break-up, which may	दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से अवगत कराया
	not be allowed on forest land. State Govt. is	गया है कि-
	requested to ensure the necessary correction in the	Residential building will not be constructed in
	details provided in the component wise breakup at	the proposed land. Component wise breakup is
"	para B 2.4in part I	revised and uploaded at para B 2.4 in part I.
		Document related to this query is attached in
13-4	and the second s	this letter at attachment 2. (संलग्नक-2)
3	In reply to point no 3, layout plan still not	वन संरक्षक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र
	submitted .State Government is again requested to	दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से अवगत कराया
	submit the layout plan and activity details of each	गया है कि-
-	polygon/patch separately	Layout plan and activity details of each patch is
		submitted in this letter at attachment no 3 and
12.00		same is uploaded in online proposal at
	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	additional documents. (संलग्नक-3)

In reply to point no 4, the justification provided is does not seem to be proper. State Government is requested to submit the clarification this regard.   Revised Justification is uploaded in on proposal at para D of part-I and samu ploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting attachment at no 4. All suppor
Revised Justification is uploaded in on proposal at para D of part—I and sam uploaded in online proposal at addition documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted in this letter attachment and it attachment and attachment and it attachment and attac
In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  10
In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information as the proposal under it is submitted attachment in no. 1.  In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under it is submitted attachment. In the proposal attachment in no. 1.  In reply to point no 5, violation is reported after observation no. 1.  In reply to point no 5, violation is reported after the proposal under it is submitted in this lett datachment in no. 1.  In reply to surjuct a print of waying and reply a waying a way
documents and it is submitted in this lette attachment at no 4. All supporting documents and it is no 4. All supporting documents and it is submitted at attachment at no 4. All supporting documents and it is submitted at attachment. It was a grain a supposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  **The supposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  **The supposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  **The supposal under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  **The supposal under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  **The supposal under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  **The supposal under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  **The supposal under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided, which is required to be provided.  **The supposal under IFA 1927, but no such information is a such information in the s
In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  The provided is required to this query are attached at attachmen observation for a rich and surface provided is previously and art required is previo
100. 1. (संलग्नक—1 के अनुसार)  In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  (संलग्नक—4) को परिवेश पोर्टल पर ऑनला उंगार कर दिनांक 31.07.2 (संलग्नक—4) को परिवेश पोर्टल पर ऑनला अपलोड किया गया। प्रमाग के क्षेत्रान्त अगस्त्यम्नि रेंज ने अपने पत्रांक—260/12 दिन 23.10.2015 (संलग्नक—5) के द्वारा संबंधित के ले बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के लिया वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के लिया गया। उक्त के क्रम में प्रस्ता विभाग द्वारा उनके पत्रांक—372/2 विशयक—2015—16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक—6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्व मृति/9(अ)—2 तथा यहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अमानिमाण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूर प्रमागिय कार्यां कराया परा प्रस्तावित स्थल राजस्व के प्रमान 1304 / 12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संस्थक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, योड़ी को प्रकी गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विय स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन के वार परिते पोर्टल के पैस—11 (संलग्नक—8) तथा परिते पोर्टल के पैस—11 (संलग्नक—9) में अंकित ऑनलाईन अपलोड किया गया। चिक्र प्रसात गउन के बाद निर्माण कार्य अवैध
ाn reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided which is required to be provided.   1927, but no such information has been provided which is required to be provided.   1927, but no such information has been provided which is required to be provided.   1927, but no such information has been provided which is required to be provided.   1927, but no such information has been provided which is required to be provided.   1927, but no such information has been provided which is required to be provided.   1927, but no such information has been provided which is required to be provided.   1928, but no such information has been provided which is required to be provided.   1928, but no such information has been provided which is required to be provided.   1927, but no such information has been provided which is required to be provided.   1927, but no such information has been provided which is required to be provided.   1927, but no such information has been provided which is required to be provided.   1928, but no such information has been provided which is required to be provided.   1927, but no such information has been provided which is required to be provided.   1927, but no such information has been provided which is required to be provided.   1928, but no such information has dear in the proposal provided which is required to be provided.   1927, but no such information has dear in the proposal provided which is required by the forest provided w
ाn reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided, which is required t
observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1928, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1928, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1929, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1920, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1921, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1921, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1922, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1924, but no such information has been provided, which is required to be provided.  1924, but no such information has been provided, which is required favor in give in
building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.  **Which is required to be provided.**  **Which is required to b
proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1928, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1928, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1928, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1928, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1921, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1921, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1921, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1921, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1921, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1921, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1921, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1921, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1921, but no such information has been provided, which is required to be provided.    1921, but no such information has been provided.    1921, but no such information has been provided.    1921, but no such information has all information during the provided with the provided wi
have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.    अपलेक कर दिनांक 31.07.2 (संलग्नक—4) को परिवेश पोर्टल पर ऑनला अपलोड किया गया तत्पश्चात् वन भूमि पर निग्कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रभाग के क्षेत्रान्त अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक—260/12 दिन 23.10.2015 (संलग्नक—5) के द्वारा संबंधित कि को बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के जिला पर निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाये के लांचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्ता विभाग द्वारा उनके पत्रांक—372/विशायक—2015—16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक—6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्य भूमि/9(ख)—2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूर प्रमागीय कार्यालय के प्रतंक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पोड़ी को प्रं की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 ख्यतीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पेरा—11 (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के प्रताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
which is required to be provided.  हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 31.07.2( (संलग्नक—4) को परिवेश पोर्टल पर ऑनला अपलोड किया गया तत्पश्चात् वन भूमि पर निर्मा कर्या प्रारम्भ किया गया। प्रभाग के क्षेत्रान्त अगस्त्यमुनि रंज ने अपने पत्रांक—260 /12 दिन् 23.10.2015 (संलग्नक—5) के द्वारा संबंधित कि को बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के जिला ये हेतु नोटिस जारी किया गया तथा प्रभागीय कार्या को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्ताविमाग द्वारा उनके पत्रांक—372/9 विशयक—2015—16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक—6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)—2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्ररस्म किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रंकी गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पेरा—11 (संलग्नक—8) में अंकित अंनालाईन अपलोड किया गया।
(संलग्नक-4) को परिवेश पोर्टल पर ऑनला अपलोड किया गया तत्पश्चात् वन भूमि पर निग्कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रभाग के क्षेत्रान्त अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक-260/12 दिन 23.10.2015 (संलग्नक-5) के द्वारा संबंधित कि को बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के जि बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के जि जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाये ज हेतु नोटिस जारी किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्ता विभाग द्वारा उनके पत्रांक-372/9 विशयक-2015-16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक-6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्य भूमि/9(ख)-2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूर प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक-1304 /12-1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक-7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्री की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 रथलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव रथलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव रथलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव उपलीच निरीक्य निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव उपलीच निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव उपलीच निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव उपलीच निरीक्षण कर उल्लंघन के अपन विव उत्तर विव विव उपलीच के प्राप्त निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव उत्तर निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव उत्तर निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव उत्तर निरीक्षण कर उल्लंघन के विव विव विव विव विव विव विव विव विव वि
अपलोड किया गया तत्पश्चात् वन भूमि पर निग्कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रभाग के क्षेत्रान्त अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक—260/12 दिन 23.10.2015 (संलग्नक—5) के द्वारा संबंधित कि को बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के जि जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाये के हेतु नोटिस जारी किया गया प्रथा प्रभागीय कार्यां को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्ता किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्ता कियाग द्वारा उनके पत्रांक—372/9 विशयक—2015—16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक—6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्य भूमि/9(ख)—2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रांकी गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित अंनलाईन अपलोड किया गया।
कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रभाग के क्षेत्रान्त अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक-260/12 दिन 23.10.2015 (संलग्नक-5) के द्वारा संबंधित कि को बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के जि जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाये ज हेतु नोटिस जारी किया गया तथा प्रभागीय कार्याः को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्ताः विभाग द्वारा उनके पत्रांक-372/र विशयक-2015-16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक-6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्य भूमि/9(ख)-2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक-1304 /12-1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक-7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पोड़ी को प्रें की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक-8) तथा परि पोर्टल के पैरा-11 (संलग्नक-8) तथा परि पोर्टल के पैरा-11 (संलग्नक-9) में अंकित अंनलाईन अपलोड किया गया। चुंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक-260/12 दिन् 23.10.2015 (संलग्नक-5) के द्वारा संबंधित विग को बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के जि विना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के जि जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाये ज हेतु नोटिस जारी किया गया तथा प्रभागीय कार्यां को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्ताः विभाग द्वारा उनके पत्रांक-372/रिविशयक-2015-16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक-6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्य भूमि/९(ख)-2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक-1304 /12-1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक-7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रें की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक-8) तथा परि पोर्टल के पैरा-11 (संलग्नक-9) में अंकित अंनलाईन अपलोड किया गया। चुंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
23.10.2015 (संलग्नक—5) के द्वारा संबंधित कि को बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के जि जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाये ज हेतु नोटिस जारी किया गया तथा प्रभागीय कार्या को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्ता विभाग द्वारा उनके पत्रांक—372/२ विशायक—2015—16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक—6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/९(ख)—2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रें की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित अंनलाईन अपलोड किया गया। चुंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाये जे हेतु नोटिस जारी किया गया तथा प्रभागीय कार्या को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्ताविभाग द्वारा उनके पत्रांक—372/भ विशयक—2015—16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक—6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)—2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रें की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—8) नथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित अंनलाईन अपलोड किया गया।
हेतु नोटिस जारी किया गया तथा प्रभागीय कार्यां को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्तां विभाग द्वारा उनके पत्रांक—372/भ विशायक—2015—16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक—6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)—2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रें की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित अंजनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्ताविभाग द्वारा उनके पत्रांक—372/भ विशयक—2015—16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक—6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/९(ख)—2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रें की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित अंकित जं मत्रांच अपलोड किया गया। चुंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
विभाग द्वारा उनके पत्रांक—372/भी विशयक—2015—16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक—6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)—2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेर्व की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित अंनलाईन अपलोड किया गया। मुंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
विशयक—2015—16 दिनांक 04.11.20 (संलग्नक—6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/९(ख)—2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेर्व की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित अंनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
(संलग्नक—6) के द्वारा अवगत कराया गया प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)—2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रें की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित अंजित अंजित के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित अंजित अंजित के परा—11 (संलग्नक—9) में अंकित अंजित अंजित विव संवाईन अपलोड किया गया।
प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/९(ख)–2 तथा वहां कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक–1304 /12–1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक–7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेर्व की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक–8) तथा परिपोर्टल के पैरा–11 (संलग्नक–9) में अंकित अंजनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेर्व की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित ऑनलाईन अपलोड किया गया।
निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूच प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेर्र की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित ऑनलाईन अपलोड किया गया।
प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक—1304 /12—1 दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक—7) से पूर्व में संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेर्व की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित ऑनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेर् की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित ऑनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित ऑनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विव स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक—8) तथा परि पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित ऑनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक-8) तथा परि पोर्टल के पैरा-11 (संलग्नक-9) में अंकित ऑनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
पोर्टल के पैरा—11 (संलग्नक—9) में अंकित ऑनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
ऑनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
चूंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध
चे किया गया था। अतः IFA 1927 में कार्यव
अपेक्षित नहीं थी, परन्तू वन संरक्षण अधिनियम 19
के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना अग्रिम कार्यव
6 Regarding point No. 10 of this office EDS letter, वन संरक्षक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के
the reply indicates that the State Govt. has made no दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से अवगत कर
efforts in avoiding forest land for the proposed non गया है कि—
site-specific activity. However, alternatives must have been explored by the State Govt. The State searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village level, revenue levels and suitable non-forest land we searched at nearby village levels and suitable non-forest land we searched at nearby with the searched at nearby village levels are not necessarily and the searched at nearby we searched at nearby
Govt is requested to submit the clarification and and private level, but proper and suitable la
necessary information in this regard was not found available for establishment
polytechnic in nearby places. A meeting w
held with the village heads of the nearby
gram panchayats ( Kunda dankot, Ko Bhannu, Gorna and Tadag) for the availabil
of private land, but all the village heads sa

that land was not available, in relation to which all the 4 village heads signed certificate of non-availability of suitable private land was given. The certificate of non-availability of any other revenue land has also been given by Tehsildar and Sub-Divisional Officer, Rudraprayag. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1. (संलग्नक—1 के अनुसार)

अतः वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्नक:— यथोपरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली), अपर प्रमुख वन संरक्षक, स्व नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या- 23/5/FP/UK/Others/44711/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2391/12–1 दिनांक 24.03.2023 के क्रम में।

2. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

(एस०एस० रसाईली), अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।